

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/यांत्रिक/अग्रिम योजना, संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता सह संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 8-12-12

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	389.776


अतिरिक्त आवंटित राशि — रुपये तीन करोड़ नवासी लाख सतहत्तर हजार छः सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 5631.15 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 36.45 लाख सहित कुल ₹ 5667.60 लाख (छप्पन करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)


(एस०के०सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव
hil

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

L.L.
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :- 156 राँची, दिनांक :- 8-12-12
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/चाईबासा/गिरिडीह/जमशेदपुर/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त


L.L.
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :- 156 राँची, दिनांक :- 8-12-12
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

L.L.
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/ उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 156 दिनांक 8-12-12 का अनुदानक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सवाई पारयाजना																								
वित्तीय वर्ष 2012-2013		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते							विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	जी० यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मोटरगाडियां	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति							
																		विषय कोड	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	12.000 6.000 18.000	8.000 4.000 12.000	20.000 10.000 30.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 1.000 0.000	0.000 0.000 0.000	22.800 10.000 32.800							
2	कदवन बांध अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	38.000 19.000 57.000	23.000 11.000 34.000	61.000 30.000 91.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.521 0.000 0.521	0.200 0.200 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.070 0.000 0.070	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	57.321 30.200 92.291							
3	रूपांकण आयोजन एवं मोनि० अंचल , मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	35.000 17.000 52.000	21.000 11.000 32.000	56.000 28.000 84.000	0.000 0.000 0.000	0.821 0.000 0.821	0.200 0.200 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	16.250 28.200 85.521							
4	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	9.000 4.000 13.000	5.000 3.000 8.000	14.000 7.000 21.000	0.000 0.000 0.000	1.300 0.000 1.300	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	7.000 23.250 122.446								
5	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	75.000 0.000 75.000	45.000 0.000 45.000	120.000 0.000 120.000	0.000 0.000 0.000	0.846 0.340 1.186	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.550	0.000 0.000 0.000	0.600 0.000 0.600	0.000 0.200 0.200	89.375 44.000 133.375								
6	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी पलामू	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	55.000 28.000 83.000	33.000 16.000 49.000	88.000 44.000 132.000	0.000 0.000 0.000	1.075 0.000 1.075	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	111.329 41.220 152.549								
7	कोनार नहर प्रमंडल, झुमरी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	71.000 25.000 96.000	39.000 15.420 54.420	110.000 40.420 150.420	0.000 0.000 0.000	0.829 0.000 0.829	0.300 0.200 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.200 0.500 0.700	0.000 0.000 0.000	22.500 11.700 34.200								
8	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	14.000 7.000 21.000	8.000 4.000 12.000	22.000 11.000 33.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.100 0.200 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	126.899 62.000 188.899								
9	जलपथ प्रमंडल, चार्डीबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अद्यतन आवंटन	78.000 39.000 117.000	47.000 23.000 70.000	125.000 62.000 187.000	0.000 0.000 0.000	0.949 0.000 0.949	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400									

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतापथी)
प्रधान सचिव

